(b) whether Government are satisfied with the quantum of this flow; and

(c) if not, what measures are contemplated by Government to increase this flow?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Growing Demand of Rhino Horn

360. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a growing demand for Rhino horn in East Asia and its parts for arms by North Eastern extremists have been pushing the Indian one horn Rhinoceros to the brink of extinction;

(b) whether it is a fact that Rhino horn can fetch upto Rs. 8 lakh per kg.;

(c) what steps have been taken to effectively prevent killing of this endangered animal; and

(d) the number of Rrhinos killed during the past six months (January—June, 1997) and the comparative figures for the preceding two spells of 6 months each?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) No, Sir. Although there has been tremendous pressure of poaching of Rhino due to growing demand of Rhino horns in East Asia, for east and some Arabian countries, India still holds seizable viable population of Rhinos and there is no immediate threat of extinction of the species from India.

(b) One Kg. of Rhino horn can fetch a price of about Rs. 15 lakhs in the international market.

(c) The steps taken to effectively prevent killing of this endangered animal are as given below:

(i) Rhino is placed in Schedule I of Wildlife (Protection) Act, 1972 thus getting the highest level of protection against hunting and commercial exploitation.

(ii) India is a party to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and abides by the regulations of International trade in endangered species of animals and articles made thereof. Under the provisions of the convention, Rhino is placed under Appendix I of CITES which bans international trade in the species, products and derivatives.

(iii) Cooperation of Police, BSF, DRI, Customs, Army and other enforcement agencies is also taken, as and when required in apprehending the poachers and illegal traders.

(iv) With a view to providing alternative home for Rhinos and also rehabilitating them in their erstwhile habitat programme for 'Rehabilitation of Rhinos' has been started in Dudhwa National Park and Katerniaghat Wildlife Sanctuary of Uttar Pradesh.

(v) A network of 5 Wildlife sanctuaries and 4 national parks has been set up for conservation of the species and its habitat. Financial assistance is provided by the Central Government for development of these national parks and sanctuaries, on request from the State Government.

(vi) There is a scheme for payment of rewards to the informers,

which among other things, helps in getting intelligence regarding smuggling of wildlife products.

(d) As reported by the State Govt. of Assam, between January and June, 1997 20 Rhinos were killed by poachers in the State. The comparative figures for the preceding two spells of 6 months each are 19 and 21.

वन संरक्षण अधिनियम

361. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लागू किए जाने के पश्चात् गुजरात में जनजातीय, सीमावर्ती तथा वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं अन्य अनेकों कार्यक्रम/योजनाएं ठप्प पड़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात को इन सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को शुरु करने का है ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुउद्दीन सोज़): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक

362. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कुल कितने ऐतिहासिक स्मारक है;

(ख) इनमें से कितने स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख-रेख में हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भू-माफिया ऐतिहासिक स्मारकों पर कब्जा करके उन पर निर्माण कर रहे हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) इन ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिल्ली में 1317 ऐतिहासिक स्मारक हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन 167 संरक्षित स्मारक है।

(ग) से (ङ) अतिक्रमण के इक्तालिस मामले जानकारी में आए हैं। कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी को कड़ा कर दिया गया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में साक्षरता

363. **श्री जनार्दन यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार एवं उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ख) इन जिलों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) देश में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये अभियान क्षेत्र-विशिष्ट, समयबद्ध तथा स्वयंसेवक आधारित है। ये अभियान जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तथा बिहार के 39 जिलों में 25 जिलों जिनकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, को संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर लिया गया है। छूटे हुए शेष जिलों को भी इन साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शीघ्र ही शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण

1.	**बिहार**	**38.48**
1.	नालन्दा	46.94
2.	रोहतास	45.41
3.	औरंगाबाद	45.41
4.	जहानाबाद	45.83
5.	गया	40.47
6.	नवादा	38.96
7.	सारण	41.79